U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्याः I/62143/2026/PAUPRV-HROREFO(R038)/1/2026 Comp. No. 110744

दिनांकः 13-08-2026

कार्यालय ज्ञाप

निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.07.2026 को आयोजित सोलहवीं (16) बैठक में मद संख्या-16.9 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं हेतु सुसंगत सेवा विनियमावलियों में, 'भर्ती का वर्ष' की परिभाषा को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाये जाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में भर्ती/चयन वर्ष निर्धारण विनियम-2026

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं लागू होना	1-(क) यह विनियम ''उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में भर्ती/चयन वर्ष निर्धारण विनियम-2026'' कहलायेंगे। (ख) यह 01 जनवरी, 2027 से प्रवृत्त होंगे। (ग) यह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं हेतु बनाई गयी समस्त सेवा विनियमावलियों पर लागू होंगे।
अध्यारोही प्रभाव	2- यह विनियम इससे पूर्व बनाई गयी किसी अन्य सेवा विनियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होंगे।
परिभाषाएं	3- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियम में:- (क) ''आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से है, (ख) ''निगम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से है, (ग) ''निदेशक मण्डल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत

<table>
<tr><td></td><td>उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल से है।</td></tr>
<tr><td>भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन</td><td>4- निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अधीन निदेशक मण्डल द्वारा बनाई गयी सुसंगत सेवा विनियमावलियों में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी ''भर्ती का वर्ष'' की विद्यमान परिभाषा के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी परिभाषा से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थातः-
<table>
<tr><th>स्तम्भ-1</th><th>स्तम्भ-2</th></tr>
<tr><th>विद्यमान परिभाषा</th><th>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिभाषा</th></tr>
<tr><td>''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।</td><td>''भर्ती/चयन का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>व्यावृत्ति</td><td>5-(क) इस विनियम के प्रारम्भ होने के परिणामस्वरूप, भर्ती/चयन वर्ष 2026-27, 01.07.2026 से 31.12.2026 तक सीमित रहेगा।

(ख) इस विनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, यदि किसी पद के लिये चयन हो चुका है या चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी।

(ग) इस विनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, यदि किसी पद के चयन के लिये विज्ञापन किया जा चुका है और चयन या भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी और इस निमित्त जारी विज्ञापन के अनुसार किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>सुसंगत सेवा विनियमावली में अन्य निबंधनों और शर्तों का अप्रभावित रहना</td><td>6- नियम-4 के उपबन्धों के अध्याधीन सुसंगत सेवा विनियमावली में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्ध अप्रभावित रहेंगे।</td></tr>
</table>

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः I/62143/2026/PAUPRV-HROREFO(R038)/1/2026 Comp. No. 110744 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का० प्रबं० एवं प्रशा०/ तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), यू०पी०

राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

3. मुख्य महाप्रवन्धक / महाप्रबन्धक (अनपरा / ओबरा / पारीछा / पनकी / हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झांसी/कानपुर/अलीगढ़ /एटा)।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/पी०पी०एम०एम०/ वाणिज्य/ईधन/आर० एण्ड एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), प्रगति इकाई, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०) / मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०), जल विद्युत स्कन्ध, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा०वा०से०/प्रशिक्षण), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-02/औ०सं०/वित्त/लेखा), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,

13/08/2026

(आर० के० मिश्र)

अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)